NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 16-09-2024

विषय सूची

लोकपाल ने सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए जांच विंग का गठन किया

एक राष्ट्र, एक चुनाव

DPIIT, BHASKAR पहल शुरू करेगा

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWE)

मस्तिष्क-प्रेरित एनालॉग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म

चीन का कार्बन बाजार

कॉमन्स का शासन

संक्षिप्त समाचार

एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस

तुर्किये का ब्रिक्स में सम्मिलित होने का प्रयास

ऑपरेशन सद्भाव

CREATE सेटअप

20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद

सैटेलाइट चमरान-1

सारथी ऐप

मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया

लोकपाल ने सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए जांच विंग का गठन किया

सन्दर्भ

- भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने लोक सेवकों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार संबंधी अपराधों की प्रारंभिक जांच के लिए एक जांच विंग का गठन किया है।

लोकपाल की जांच शाखा

- अपने वैधानिक कार्यों के निर्वहन के लिए, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 11, लोकपाल को एक जांच शाखा गठित करने के लिए बाध्य करती है।
    - इस विंग का उद्देश्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दंडनीय किसी भी अपराध की प्रारंभिक जांच करना है, जो निर्दिष्ट लोक सेवकों और पदाधिकारियों द्वारा किया गया हो।
- लोकपाल अध्यक्ष को जांच शाखा में तार्किक सहायता प्रदान करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और कर्मचारियों के रूप में एक निश्चित संख्या में उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया है।

जांच विंग की संरचना

- लोकपाल की पीठ ने जांच विंग के लिए स्टाफिंग पैटर्न और उपयुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्दिष्ट संख्या प्रदान करने वाली संगठनात्मक संरचना को मंजूरी दी थी।
- संगठनात्मक संरचना के अनुसार, लोकपाल अध्यक्ष के अधीन एक जांच निदेशक होगा।
    - निदेशक को तीन पुलिस अधीक्षकों (SPs) - SP(सामान्य), SP(आर्थिक और बैंकिंग) और SP(साइबर) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
    - प्रत्येक SP को जांच अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा भी सहायता प्रदान की जाएगी।

भारत में लोकपाल

- भारत में लोकपाल को लोकपाल ("लोगों का रक्षक") या लोकायुक्त (लोगों द्वारा नियुक्त व्यक्ति) के रूप में जाना जाता है।
- लोकपाल, प्रधानमंत्री सहित सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के रूप में स्थापित किया गया है, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 से अधिकार प्राप्त करता है।
    - 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता की मांग को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः लोकपाल अधिनियम पारित हुआ।

लोकपाल की संरचना

- लोकपाल संस्था एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना लोकपाल अधिनियम 2013 द्वारा की गई है।
- सदस्य: लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं।

- आधे सदस्य न्यायिक सदस्य होंगे और उन्हें उच्चतम न्यायालय का भूतपूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।
- गैर-न्यायिक सदस्य को सत्यनिष्ठावान और उत्कृष्ट क्षमता वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए।
- कम से कम पचास प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक और महिलाएं होंगी।

- **चयन समिति:** सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं:
  - प्रधानमंत्री जो इसके अध्यक्ष हैं;
  - लोक सभा अध्यक्ष,
  - लोक सभा में विपक्ष के नेता,
  - भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता।

लोकपाल का क्षेत्राधिकार

- लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री सम्मिलित होंगे, सिवाय इसके कि अंतरराष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप।
- **मंत्री और सांसद:** संसद में कही गई किसी बात या वहां दिए गए वोट के मामले को छोड़कर लोकपाल का अधिकार क्षेत्र मंत्रियों और सांसदों पर भी होगा।
- **लोक सेवक:** लोकपाल का अधिकार क्षेत्र भारत के अंदर और बाहर सभी श्रेणियों के लोक सेवकों को कवर करेगा।
- **CBI से संबंधित:** इसके पास CBI पर अधीक्षण करने और उसे निर्देश देने की शक्तियाँ हैं।
  - यदि लोकपाल ने कोई मामला CBI को भेजा है तो ऐसे मामले में जांच अधिकारी को लोकपाल की मंजूरी के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।

लोकपाल से संबंधित मुद्दा

- **परिचालन में देरी:** नियुक्तियों में देरी से परिचालन दक्षता बाधित होती है। उदाहरण के लिए, मई 2022 में पद रिक्त होने के पश्चात् नए लोकपाल की नियुक्ति में 21 महीने की देरी हुई।
  - यद्यपि लोकपाल अधिनियम 2014 में अधिनियमित किया गया था, लेकिन यह संस्था 2019 में ही कार्यात्मक हो पाई, जो इसके संचालन में महत्वपूर्ण देरी को दर्शाता है।
- **लंबित शिकायतें:** हाल के आंकड़ों के अनुसार, लोकपाल के पास लंबित शिकायतों का एक बड़ा भाग है। जुलाई 2024 तक, भ्रष्टाचार से संबंधित 52 शिकायतें अभी भी कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रही थीं, जो दर्शाता है कि संस्था अपने मामलों के भार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए संघर्ष करती है।
- **न्यायालय संबंधी संघर्ष:** अन्य सतर्कता एजेंसियों के साथ क्षेत्राधिकार का परस्परव्याप्ति होना संघर्ष का कारण बनता है, जिससे जांच में अधिकार और जिम्मेदारी को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई में देरी होती है।

- **अभियोजन विंग का गठन नहीं किया गया:** लोकपाल अधिनियम में अभियोजन निदेशक की अध्यक्षता में अभियोजन विंग की स्थापना के प्रावधान के बावजूद, इसका अभी तक गठन नहीं किया गया है।
- **राजनीतिक प्रभाव और हस्तक्षेप:** लोकपाल की नियुक्ति समिति में राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं, जो राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करता है।
- **प्रख्यात न्यायविदों के चयन में अस्पष्टता:** "प्रख्यात न्यायविदों" और "ईमानदार व्यक्तियों" की नियुक्ति के अस्पष्ट मानदंडों का राजनीतिक विकल्पों के पक्ष में प्रयोग किया जा सकता है।
- **संवैधानिक समर्थन का अभाव:** लोकपाल को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, जिससे इसका संस्थागत अधिकार और स्थायित्व कमजोर हो जाता है।

आगे की राह

- भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत की लड़ाई में लोकपाल एक महत्वपूर्ण संस्था बनी हुई है। एक शक्तिशाली और स्वतंत्र लोकपाल भारत सरकार के अंदर पारदर्शिता तथा जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- चुनौतियों का समाधान करके और आवश्यक सुधारों को लागू करके, भारत इस महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार विरोधी संस्था की प्रभावशीलता को अधिकतम कर सकता है।
- लोकपाल को स्वतंत्र रूप से जांच शुरू करने, अभियोजन को लागू करने और इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए दंड को लागू करने के लिए अधिक अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है।

Source: BS

एक राष्ट्र, एक चुनाव

सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' को लागू करेगी।

पृष्ठभूमि

- एक साथ चुनाव (एक राष्ट्र एक चुनाव) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विचार को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य चुनावों की आवृत्ति तथा उनसे जुड़ी लागतों को कम करना है।
- भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में हुए थे।
- उसके बाद, यह कार्यक्रम जारी नहीं रखा जा सका और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों को अभी भी पुनर्गठित नहीं किया गया है।
- एक साथ चुनाव के मुद्दे को 2014 में प्रधान मंत्री मोदी ने उठाया था और पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक समिति ने भी इस मुद्दे पर विचार किया था।

राम नाथ कोविंद पैनल के सुझाव

- **चरणबद्ध प्रक्रिया का चयन:** पैनल के अनुसार, पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, उसके बाद दूसरे चरण में 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय (नगरपालिका और पंचायत) चुनाव कराए जा सकते हैं।
- सदन में अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में, सदन के तत्काल पूर्ववर्ती पूर्ण कार्यकाल के शेष कार्यकाल के लिए ही नए चुनाव कराए जा सकते हैं।
- **संविधान संशोधन की आवश्यकता:** पैनल ने संविधान के अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि) और अनुच्छेद 172 (राज्य विधानसभाओं की अवधि) में संशोधन की सिफारिश की है।
  - इस संवैधानिक संशोधन को राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
- **राज्यों का अनुसमर्थन:** पैनल ने संविधान में संशोधन की भी सिफारिश की जिसके लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है;
  - संविधान का अनुच्छेद 324A पंचायतों और नगर पालिकाओं में एक साथ चुनाव कराने की अनुमति देता है; और
  - अनुच्छेद 325 भारत के चुनाव आयोग (ECI) को राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एक सामान्य मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की अनुमति देता है।

एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में तर्क

- इससे प्रत्येक वर्ष अलग-अलग चुनाव कराने पर होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी।
- बार-बार चुनाव कराने की समस्या के कारण लंबे समय तक नैतिक आचार संहिता लागू रहती है, जिसका प्रभाव सामान्य शासन पर पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने से ऐसी समस्याओं से निपटा जा सकता है।
- एक साथ चुनाव कराने से महत्वपूर्ण जनशक्ति मुक्त होगी, जिसे प्रायः चुनाव ड्यूटी पर लंबे समय तक तैनात किया जाता है।
- लगातार चुनाव मोड में रहने के बजाय शासन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

एक राष्ट्र एक चुनाव के विरुद्ध तर्क

- सभी राज्यों और केंद्र सरकार को कार्यक्रमों, संसाधनों आदि के समन्वय सहित बड़े पैमाने पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- इससे क्षेत्रीय दलों की कीमत पर प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी या केंद्र में सत्तासीन दल को सहायता मिल सकती है और क्षेत्रीय मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दों की तुलना में कम महत्त्व मिल सकता है।

आगे की राह

- सरकार के सभी 3 स्तरों के लिए समकालिक चुनाव शासन की संरचना में सुधार करेंगे। इससे मतदाताओं की पारदर्शिता, समावेशिता, सहजता और आत्मविश्वास बढ़ेगा।
- एक साथ चुनाव के मुद्दे की जांच कर रहे 22वें विधि आयोग से उम्मीद है कि वह 2029 के आम चुनाव चक्र से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करेगा।

Source: TH

DPIIT, BHASKAR पहल शुरू करेगा

समाचार में

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (BHASKAR) लॉन्च करने के लिए तैयार है।

परिचय

- यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का एक भाग है और इसका उद्देश्य संसाधनों को केंद्रीकृत करके तथा स्टार्टअप्स, निवेशकों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं एवं सरकारी निकायों के बीच सहयोग बढ़ाकर भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मज़बूत करना है।
- स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, इकाई एक निजी लिमिटेड कंपनी, LLP या साझेदारी फर्म होनी चाहिए जो 10 वर्ष से कम पुरानी हो, जिसका वार्षिक कारोबार ₹100 करोड़ से अधिक न हो।

BHASKAR की मुख्य बातें

- **केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म:** हितधारकों के लिए संसाधनों, उपकरणों और ज्ञान तक पहुँचने के लिए एक वन-स्टॉप हब, जो उद्यमियों को विचार से लेकर क्रियान्वयन तक सहायता करता है।
- **नेटवर्किंग और सहयोग:** यह प्लेटफ़ॉर्म पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर सहज बातचीत और साझेदारी की सुविधा प्रदान करेगा।
- **व्यक्तिगत आईडी:** प्रत्येक हितधारक को एक अद्वितीय BHASKAR आईडी प्राप्त होगी, जो खोज क्षमता और अनुकूलित अनुभवों को बढ़ाएगी।
- **वैश्विक मान्यता:** यह पहल नवाचार के केंद्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी और सीमा पार सहयोग को प्रोत्साहित करेगी।

महत्व

- BHASKAR भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की संभावनाओं को उजागर करने, नवाचार, उद्यमशीलता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में शयत सहायता करेगा। यह पहल भारत को नवाचार और आर्थिक विकास में वैश्विक नेता बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम

- भारत, अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है और यहां 1,46,000 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) किसी व्यवसाय को स्टार्टअप के रूप में मान्यता देता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने से इस नवाचार को आगे बढ़ाने में सहायता मिल रही है।

स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

- 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल, कर छूट, सरलीकृत विनियमन और स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS) के माध्यम से फंडिंग तक पहुंच जैसे लाभ प्रदान करके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन (AIM) और मेक इन इंडिया पहल जैसी अन्य पहलें।

Source: PIB

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWE)

समाचार में

केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (RCPLWEA) के लिए सड़क संपर्क परियोजना के तहत धन का आवंटन दोगुना कर दिया है।

- इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि मार्च 2026 से पहले देश में वामपंथी उग्रवाद को "पूरी तरह से समाप्त" कर दिया जाएगा।

RCPLWEA के बारे में

- यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत एक अलग वर्टिकल है।
- इसका उद्देश्य नौ राज्यों के 44 सबसे अधिक प्रभावित वामपंथी उग्रवाद (LWE) जिलों और आसपास के जिलों में पुलिया और क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं के साथ सभी मौसम के लिए सड़क संपर्क प्रदान करना है, जो "सुरक्षा और संचार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण" हैं।
- **समायोजित किए गए राज्य:** आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश प्रमुख आवंटन में शामिल हैं:
  - छत्तीसगढ़: 200 करोड़ रुपये
  - झारखंड: 200 करोड़ रुपये
  - आंध्र प्रदेश: 150 करोड़ रुपये
  - महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश: 140-140 करोड़ रुपये।
- **उद्देश्य:** परियोजना का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में रणनीतिक सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना है, जहां ऐतिहासिक रूप से बुनियादी ढांचे का अभाव रहा है।

अन्य संबंधित प्रयास

- **संवैधानिक ढांचा:** पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं, लेकिन भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (LWE) के विरुद्ध राज्य के प्रयासों को बढ़ावा देती है।
- **राष्ट्रीय नीति:** 2015 में स्वीकृत, इसमें सुरक्षा उपाय, विकास हस्तक्षेप और स्थानीय अधिकारों को सुनिश्चित करना शामिल है।
  - उपायों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचा सहायता शामिल हैं।

- अन्य पहलों में विकास में विश्वास बनाना और वामपंथी उग्रवाद से जुड़े युवाओं से हिंसा छोड़ने तथा राष्ट्रीय विकास प्रयासों में शामिल होने का आह्वान करना शामिल है।
- **विकास पहल:** सड़क नेटवर्क: 14,395 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं, जिनमें से 11,474 किलोमीटर सड़कें पिछले 10 वर्षों में बनाई गई हैं।
  - **दूरसंचार संपर्क:** 5,139 टावर स्थापित किए गए।
  - **वित्तीय समावेशन:** 1,007 बैंक शाखाएँ, 937 एटीएम और 5,731 डाकघर खोले गए।
  - **कौशल विकास:** 46 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs) और 49 कौशल विकास केंद्र (SDCs) स्थापित किए गए।
  - **शिक्षा:** आदिवासी क्षेत्रों में 130 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)।
- **प्रगति:** हिंसा में कमी: वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं 2010 के स्तर से 73% कम हुईं; मृत्यु दर में 86% की कमी आई।
  - वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 2013 में 126 से घटकर 2024 में 38 हो गई।
  - वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की रिपोर्टिंग 2010 में 465 से घटकर 2024 के मध्य में 89 हो गई।
  - सुरक्षा बलों ने वामपंथी उग्रवाद के वित्तपोषण और परिचालन क्षमताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।
  - बुनियादी ढांचे और विकास में निरंतर प्रगति के साथ, हिंसा तथा वामपंथी उग्रवाद के प्रसार में उल्लेखनीय कमी आई है।

Source: IE

मस्तिष्क-प्रेरित एनालॉग कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म

सन्दर्भ

- भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क-प्रेरित एनालॉग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो एक आणविक फिल्म के अंदर 16,500 चालकता अवस्थाओं में डेटा को संग्रहीत और संसाधित करने में सक्षम है।

परिचय

- यह नई तकनीक पारंपरिक बाइनरी कंप्यूटिंग सिस्टम से एक महत्वपूर्ण उन्नति का प्रतिनिधित्व करती है, जो न्यूरोमॉर्फिक या मस्तिष्क-प्रेरित एनालॉग कंप्यूटिंग के क्षेत्र में प्रवेश करती है।
- पारंपरिक कंप्यूटरों के विपरीत, जो पूर्वनिर्धारित प्रोग्रामिंग का पालन करते हैं, न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम में अपने वातावरण से सीखने की क्षमता होती है, जो संभावित रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नए स्तरों तक बढ़ाती है।

AI हार्डवेयर में क्रांतिकारी बदलाव

- यह न्यूरोमॉर्फिक प्लेटफ़ॉर्म संभावित रूप से जटिल AI कार्यों को ला सकता है, जैसे कि ChatGPT जैसे बड़े भाषा मॉडल (LLM) को प्रशिक्षित करना - लैपटॉप और स्मार्टफ़ोन जैसे व्यक्तिगत उपकरणों पर।
- यह तकनीक AI विकास में दो प्रमुख बाधाओं को संबोधित करती है: इष्टतम हार्डवेयर की कमी और ऊर्जा की अक्षमता।
- इस नवाचार के केंद्र में आणविक प्रणाली मानव मस्तिष्क के समान तरीके से डेटा को संसाधित करने और संग्रहीत करने के लिए आयनों की प्राकृतिक गति का उपयोग करती है, जिससे एक "आणविक डायरी" बनती है जो कंप्यूटर की तरह काम करती है लेकिन बहुत अधिक ऊर्जा दक्षता तथा स्थान-बचत क्षमताओं के साथ।

परिशुद्धता और दक्षता

- यह नवाचार आणविक अवस्थाओं को मापने के लिए आवश्यक परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विजय प्राप्त करता है।
- एक कस्टम सर्किट बोर्ड को बहुत तेज़ नमूना दरों पर एक वोल्ट के दस लाखवें हिस्से के बराबर वोल्टेज को मापने में सक्षम बनाया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक सटीकता के लिए एक नया मानक स्थापित करता है।

भविष्य की संभावनाएँ

- शोधकर्ताओं का मानना है कि यह सफलता भारत को वैश्विक प्रौद्योगिकी नवाचार, विशेष रूप से AI हार्डवेयर विकास में अग्रणी बना सकती है।
- भारत सेमीकंडक्टर मिशन के संदर्भ में, यह विकास एक गेम-चेंजर हो सकता है, जो औद्योगिक, उपभोक्ता और रणनीतिक अनुप्रयोगों में क्रांति ला सकता है।

विशाल भाषा मॉडल (LLMs)

- एक विशाल भाषा मॉडल (LLM) एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एल्गोरिदम है जो नई सामग्री को समझने, सारांशित करने, उत्पन्न करने और भविष्यवाणी करने के लिए गहन शिक्षण तकनीकों तथा बड़े पैमाने पर बड़े डेटा सेट का उपयोग करता है।
- गहन शिक्षण में असंरचित डेटा का संभाव्य विश्लेषण सम्मिलित है, जो अंततः गहन शिक्षण मॉडल को मानवीय हस्तक्षेप के बिना सामग्री के टुकड़ों के बीच अंतर को पहचानने में सक्षम बनाता है।
- यह समझने में सहायता करता है कि वर्ण, शब्द और वाक्य एक साथ कैसे कार्य करते हैं।

Source: TH

चीन का कार्बन बाज़ार

सन्दर्भ

- चीन अपनी कार्बन उत्सर्जन व्यापार योजना (ETS) में सीमेंट, इस्पात और एल्युमीनियम उत्पादन को सम्मिलित करने की योजना पर जनता की प्रतिक्रिया मांग रहा है।

चीन का कार्बन बाज़ार

- चीन के कार्बन बाजार में एक अनिवार्य उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) और एक स्वैच्छिक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन कटौती व्यापार बाजार शामिल है, जिसे चीन प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (CCER) योजना के रूप में भी जाना जाता है।
- ETS में अंततः बिजली उत्पादन, इस्पात, निर्माण सामग्री, अलौह धातु, पेट्रोकेमिकल, रसायन, कागज और नागरिक उड्डयन सहित आठ प्रमुख उत्सर्जन क्षेत्र शामिल होंगे, जो चीन के कुल उत्सर्जन का 75% भाग हैं।
- दोनों योजनाएँ स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं, लेकिन एक तंत्र के माध्यम से परस्पर जुड़ी हुई हैं जो फर्मों को ETS के तहत अपने अनुपालन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक बाजार पर CCER खरीदने की अनुमति देती है।

उत्सर्जन व्यापार प्रणाली क्या है?

- ETS ने 2021 में शंघाई पर्यावरण और ऊर्जा एक्सचेंज पर व्यापर करना शुरू किया। इस योजना के तहत, फर्मों को मुफ्त प्रमाणित उत्सर्जन अनुमति (CEAs) का कोटा दिया जाता है।
    - यदि किसी निश्चित अनुपालन अवधि के दौरान वास्तविक उत्सर्जन किसी कंपनी के कोटे से अधिक हो जाता है, तो उसे अंतर को पूरा करने के लिए बाज़ार से अधिक अनुमतियाँ खरीदनी होंगी। यदि उसका उत्सर्जन कम है, तो वह अपने अधिशेष CEAs को बेच सकता है।
- आवंटन का निर्णय निरपेक्ष उत्सर्जन स्तरों के आधार पर नहीं, बल्कि सरकार द्वारा निर्धारित उद्योग कार्बन तीव्रता मानदंडों के आधार पर किया जाता है, जिन्हें समय के साथ कम किया जाता है।
    - उत्सर्जकों को मासिक आधार पर प्रमुख पैरामीटर प्रस्तुत करने तथा प्रत्येक वर्ष उत्सर्जन डेटा की रिपोर्ट करने की बाध्यता है।
- अपनी स्थापना के बाद से, यह विश्व का सबसे बड़ा उत्सर्जन व्यापार मंच बन गया है, जो लगभग 5.1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य को समायोजित करता है, जो चीन के कुल का लगभग 40% है।

कार्बन बाज़ार

- कार्बन बाज़ार ऐसी व्यापारिक प्रणालियाँ हैं जिनमें कार्बन क्रेडिट बेचे और खरीदे जाते हैं।
- कंपनियाँ या व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को हटाने या कम करने वाली संस्थाओं से कार्बन क्रेडिट खरीदकर अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की प्रतिपूर्ति के लिए कार्बन बाज़ार का उपयोग कर सकते हैं।
- एक व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट एक टन कार्बन डाइऑक्साइड या किसी अन्य ग्रीनहाउस गैस की बराबर मात्रा के बराबर होता है जिसे कम किया जाता है, अलग किया जाता है या परिवर्जन किया जाता है।
- जब किसी क्रेडिट का उपयोग उत्सर्जन को कम करने, अलग करने या परिवर्जन के लिए किया जाता है, तो यह एक ऑफसेट बन जाता है और अब व्यापार योग्य नहीं होता है। सामान्यतः दो प्रकार के कार्बन बाज़ार हैं: अनुपालन और स्वैच्छिक।

- अनुपालन बाज़ार किसी भी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और/या अंतर्राष्ट्रीय नीति या विनियामक आवश्यकता के परिणामस्वरूप बनाए जाते हैं।
- स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय - स्वैच्छिक आधार पर कार्बन क्रेडिट जारी करने, खरीदने और बेचने को संदर्भित करते हैं।

महत्त्व

- कार्बन पर मूल्य लगाकर, यह कंपनियों को उत्सर्जन कम करने के लिए लागत-प्रभावी तरीके खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- कंपनियाँ चुन सकती हैं कि वे कैसे और कहाँ उत्सर्जन कम करें, जिससे संभावित रूप से अधिक नवीन समाधान सामने आ सकते हैं।
- ऑफसेटिंग तंत्र उन परियोजनाओं को निधि दे सकता है जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करती हैं।
- कार्बन वित्त राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) और पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होगा।

Source: IE

कॉमन्स का शासन

सन्दर्भ

- दिल्ली में सार्वजानिक संसाधनों के संरक्षण, पुनरुद्धार और प्रशासन पर अपनी तरह का पहला संवाद आयोजित किया गया, जिसे सामान्यतः कॉमन्स के रूप में संदर्भित किया जाता है।

कॉमन्स क्या हैं?

- कॉमन्स शब्द का प्रयोग उन संसाधनों के लिए किया जाता है जो किसी व्यक्ति, समूह या सरकार के स्वामित्व में नहीं होते, बल्कि समग्र समुदाय के होते हैं तथा उनके बीच साझा होते हैं।
  - जंगल, स्थानीय तालाब, चरागाह, नदियाँ और पवित्र स्थल सभी कॉमन हैं। शहरी परिवेश में, पार्क और झीलें कॉमन हैं।
  - वे विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक और अन्य सेवाएँ प्रदान करते हैं जो पूरे समुदाय के लिए लाभदायक हैं।
- **अमूर्त कॉमन्स:** भाषा, लोक कला या नृत्य, स्थानीय रीति-रिवाज तथा पारंपरिक ज्ञान सभी साझा संसाधन हैं, और इस प्रकार कॉमन्स हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ध्रुवीय क्षेत्र, आर्कटिक और अंटार्कटिका को वैश्विक कॉमन्स माना जाता है।
- बाह्य अंतरिक्ष, चंद्रमा और अन्य ग्रह निकाय भी वैश्विक कॉमन्स हैं। डिजिटल युग में, अधिकांश इंटरनेट तथा ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर कॉमन्स हैं।
  - क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस वाले डिजिटल संसाधनों का उपयोग सभी द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाना चाहिए।
- किसी भी देश को इन क्षेत्रों का स्वामित्व लेने की अनुमति नहीं है, हालांकि सभी देश कुछ विशेष प्रकार की गतिविधियों के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं।

कॉमन्स को नियंत्रित करने की आवश्यकता

- इनका रखरखाव, संरक्षण और सतत उपयोग किया जाना चाहिए।
- चूंकि ये संसाधन सभी के लिए सुलभ हैं, इसलिए इनके अत्यधिक दोहन और क्षति का खतरा अधिक है।
- चूंकि कॉमन्स का स्वामित्व किसी के पास नहीं है, इसलिए रखरखाव और रखरखाव की जिम्मेदारी प्रायः एक समस्या बन जाती है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण कॉमन्स पर भी दबाव बढ़ गया है।

कॉमन्स का शासन

- ध्रुवीय क्षेत्रों, बाह्य अंतरिक्ष और उच्च सागरों के उपयोग तथा प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं।
  - जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, जिसका उद्देश्य सभी के लिए रहने योग्य ग्रह बनाए रखना है, इसका एक उदाहरण है।
- शहरी क्षेत्रों में, नगरपालिकाएँ या स्थानीय शासन की अन्य संरचनाएँ कॉमन्स का ध्यान रखती हैं।
- ग्रामीण स्तरों पर, कॉमन्स का शासन प्रायः बहुत अच्छी तरह से परिभाषित नहीं होता है या अस्तित्व में नहीं होता है।
  - स्थानीय समुदाय इसमें सम्मिलित होते हैं, लेकिन अधिकांशतः मामलों में इन साझा स्थानों के प्रबंधन के लिए उनके पास न तो संसाधन होते हैं और न ही कानूनी मंजूरी।

क्या आप जानते हैं?

- एलिनोर ओस्ट्रोम ने विश्व भर के विभिन्न स्थानीय समुदायों के साथ अध्ययन किया और यह दिखाने के लिए बहुत सारे सबूत दिए कि समुदाय के नेतृत्व वाली शासन संरचनाओं के परिणामस्वरूप सामान्य स्थानों का अधिक सतत प्रबंधन हुआ।
- इसने उन्हें 2009 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिलाया, जो किसी महिला के लिए पहला पुरस्कार था, जिसकी परिणति गवर्निंग द कॉमन्स: द इवोल्यूशन ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस फ़ॉर कलेक्टिव एक्शन नामक पुस्तक में हुई।
- ओस्ट्रोम के विचार अब विश्व के विभिन्न भागों में कॉमन्स की शासन संरचनाओं का आधार बन गए हैं।

वन अधिकार अधिनियम और इसका महत्व

- भारत में, 2006 के वन अधिकार अधिनियम (FRA) को सामान्य वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक अच्छा नमूना माना जाता है।
- यह अधिनियम वनवासियों को वन क्षेत्रों में रहने और अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वामित्व अधिकार देता है।
- FRA ने भूमि पर वनवासियों के कानूनी अधिकारों को मान्यता दी।

निषकर्ष

- भारत के लगभग एक-चौथाई भू-भाग, लगभग 205 मिलियन एकड़, का अनुमान है कि यह कॉमन है, जिसमें सामुदायिक वन, चारागाह या जल निकाय सम्मिलित हैं।
- लगभग 350 मिलियन ग्रामीण लोग अपनी आजीविका के लिए इन कॉमन पर निर्भर हैं।

- अनुमान है कि ये कॉमन वस्तुओं और पारिस्थितिक सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से वार्षिक लगभग 6.6 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक मूल्य उत्पन्न करते हैं।
- वन भूमि के लिए FRA एक अच्छा मॉडल है, लेकिन अन्य सामान्य संसाधनों, विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए समान रूपरेखा विकसित करने की आवश्यकता है जिन्हें आधिकारिक तौर पर बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस

समाचार में

- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (INCOIS) ने भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के लिए एक 'एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस' विकसित किया है।

परिचय

- एटलस में सौर, पवन, लहरें, ज्वार और समुद्री धाराओं जैसे समुद्री ऊर्जा संसाधनों की क्षमता पर प्रकाश डाला गया है।
- इसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन के लिए इन संसाधनों का उपयोग करने में नीति निर्माताओं, उद्योगों और शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन करना है।

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र(INCOIS)

- यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत 1999 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है।
- यह समाज, उद्योग, सरकार और वैज्ञानिक समुदाय सहित विभिन्न क्षेत्रों को महासागर डेटा, सूचना और सलाहकार सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Source: PIB

तुर्किये का ब्रिक्स में शामिल होने का प्रयास

समाचार में

- तुर्किये ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है।

परिचय

- ब्रिक्स: ब्रिक (ब्राजील, रूस, भारत, चीन) नेताओं की पहली बैठक जुलाई 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में हुई थी।
    - सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ आयोजित पहली ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इस समूह को ब्रिक के रूप में औपचारिक रूप दिया गया था।

- ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन 16 जून, 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था।

- **तुर्किये के शामिल होने का कारण:** यूरोपीय संघ (EU) में शामिल होने की अपनी रुकी हुई प्रक्रिया से निराश तुर्किये ब्रिक्स को रूस, चीन और भारत जैसी उभरती वैश्विक शक्तियों के साथ दृढ संबंध बनाने के अवसर के रूप में देखता है। इससे तुर्किये को पश्चिमी गठबंधनों पर अपनी निर्भरता कम करने और अपनी अंतरराष्ट्रीय साझेदारी में विविधता लाने में सहायता मिल सकती है।
  - समूह में शामिल होकर, तुर्किये को नए बाजारों तक पहुंच बनाने, व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने और ब्रिक्स सदस्यों से निवेश आकर्षित करने की उम्मीद है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
- **ब्रिक्स का विस्तार:** सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद इस समूह का नाम परिवर्तित ब्रिक्स कर दिया गया।
  - दक्षिण अफ्रीका ने 14 अप्रैल, 2011 को चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
  - जनवरी 2024 में, पाँच नए देश- ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, UAE और इथियोपिया- को ब्लॉक में जोड़ा गया।
- **भारत के रणनीतिक लक्ष्य:** भारत का लक्ष्य ब्रिक्स का उपयोग अपनी वैश्विक स्थिति को बढ़ाने और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए करना है।
  - यह विस्तार भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों और वैश्विक शासन में सुधार के प्रयासों के अनुरूप है।

Source: IE

ऑपरेशन सद्भाव

सन्दर्भ

- भारत ने लाओस, म्यांमार और वियतनाम को मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है।

परिचय

- लाओस, म्यांमार और वियतनाम में तूफ़ान यागी के कारण भयंकर बाढ़ आई है।
- ऑपरेशन सद्भाव, आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन) क्षेत्र में HADR में योगदान देने के भारत के व्यापक प्रयास का भाग है, जो इसकी दीर्घकालिक 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के अनुरूप है।
- टाइफून यागी को 2024 में एशिया में आने वाला सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा गया है।
  - यह पश्चिमी फिलीपीन सागर में एक उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में शुरू हुआ और श्रेणी 5 के तूफान में परिवर्तित हो गया और 223 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ चीन के हैनान प्रांत में पहुंचा।

- इसने दक्षिण पूर्व एशिया में लाखों लोगों को विस्थापित किया है और व्यापक तबाही मचाई है।

Source: TH

CREATE सेटअप

समाचार में

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लेह में प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम त्वरण केंद्र (CREATE) का उद्घाटन किया है।

परिचय

- CREATE पश्मीना ऊन रोविंग सुविधा, गुलाब और अन्य फूलों से आवश्यक तेल निष्कर्षण के लिए उत्पादन सुविधा के विकास के लिए प्रशिक्षण तथा उपलब्ध फलों एवं अन्य कच्चे माल के जैव प्रसंस्करण के लिए उत्पादन सुविधा के विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- इससे स्थानीय उत्पादकता, उत्पाद की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता में वृद्धि होगी और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका में सुधार होगा।

Source: PIB

20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद

सन्दर्भ

- हाल ही में गोवा में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC) का आयोजन हुआ।

परिचय

- इसमें केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया, जो बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, वैधानिक अनुपालन, समुद्री पर्यटन, नेविगेशन परियोजनाओं, स्थिरता और बंदरगाह सुरक्षा पर केंद्रित थे।
- MSDC भारतीय बंदरगाह विधेयक और सागरमाला कार्यक्रम जैसी नीतियों तथा पहलों को संरेखित करने में सहायक रहा है।

समुद्री राज्य विकास परिषद

- MSDC समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए एक शीर्ष सलाहकार निकाय है और इसका उद्देश्य प्रमुख तथा गैर-प्रमुख बंदरगाहों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है।
- इसका गठन 1997 में राज्य सरकारों के परामर्श से, संबंधित समुद्री राज्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या कैप्टिव उपयोगकर्ताओं और निजी भागीदारी के माध्यम से उपस्थित और नए लघु बंदरगाहों के भविष्य के विकास का आकलन करने के लिए किया गया था।
- MSDC समुद्री राज्यों में लघु बंदरगाहों, कैप्टिव बंदरगाहों और निजी बंदरगाहों के विकास की निगरानी भी करता है।

- यह प्रमुख बंदरगाहों के साथ उनके एकीकृत विकास को भी सुनिश्चित करता है तथा सड़क/रेल/IWT जैसी अन्य बुनियादी संरचना आवश्यकताओं का आकलन करता है।

Source: PIB

सैटेलाइट चमरान-1

समाचार में

- ईरान ने अपने अनुसंधान उपग्रह चमरान-1 को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया
  - जनवरी में ईरान ने सोराय्या उपग्रह को 750 किमी की कक्षा में प्रक्षेपित किया, जो अब तक की उसकी सर्वोच्च कक्षा है।

परिचय

- 60 किलोग्राम वजनी चमरान-1 उपग्रह को कक्षीय कुशलतम तकनीक का परीक्षण करने के लिए 550 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया।
- इसमें काइम-100 रॉकेट का प्रयोग किया गया जो एक ठोस ईंधन वाहक है जिसे रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एयरोस्पेस फोर्स द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया है।
- पश्चिमी देश, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, इस बात पर चिंता व्यक्त करते हैं कि ईरान के अंतरिक्ष कार्यक्रम का उपयोग अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM) को विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

क्या आप जानते हैं?

- अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें (ICBM) 5,500 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली मिसाइलें हैं, जिन्हें परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ये मिसाइलें अमेरिका, रूस, चीन और अन्य सहित विभिन्न देशों के पास हैं।

Source:IE

सारथी ऐप

सन्दर्भ

- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) ने सारथी नामक एक नया संदर्भ एप्लिकेशन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य व्यवसायों को अनुकूलित बहुभाषी क्रेता ऐप बनाने में सहायता करना है।

परिचय

- इसे भाषिनी के सहयोग से विकसित किया गया है जो एक AI-संचालित भाषा अनुवाद उपकरण है।
- ऐप शुरू में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला तथा तमिल का समर्थन करता है, और भाषिनी द्वारा प्रदान की गई सभी 22 भाषाओं को आगे बढ़ाने की योजना है।

- सारथी की बहुभाषी विशेषताएं, जिसमें वास्तविक समय अनुवाद, लिप्यंतरण और आवाज पहचान शामिल है, व्यवसायों को बाजार पहुंच का विस्तार करने की अनुमति देती है, जिससे कंपनियों को नए क्षेत्रों में प्रवेश करने और ग्राहक अधिग्रहण बढ़ाने में सहायता मिलती है।

Source: TH

मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया

समाचार में

- मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है।

मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया (1861-1962) के बारे में

- वह एक प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर, राजनेता और विद्वान थे। उन्होंने भारत के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें देश के अग्रणी इंजीनियरों में से एक माना जाता है।
- उन्होंने हैदराबाद के लिए बाढ़ सुरक्षा प्रणाली विकसित की और पुणे के पास खडकवासला जलाशय में स्वचालित जल बाढ़ द्वार डिजाइन किए।
- बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आदि की स्थापना की।
- उन्होंने 1912 से 1918 तक मैसूर रियासत के दीवान (प्रधानमंत्री) के रूप में कार्य किया।
- उन्हें 1915 में अंग्रेजों द्वारा 'नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर' से सम्मानित किया गया और 1955 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

Source: IE

■■■■